


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार / केम्प कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री मोमलसिंह (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
प्रकरण संख्या / / 2018

दायर दि० 14-5-18
फैसल दि० 14-5-18

अनवान
श्री लक्ष्मी पिता मरता बनाम भूमिधारी तहसीलदार
(वादी) पादरडी कडी (प्रतिवादी) सागवाडा

वादी श्री लक्ष्मी पिता मरता जीणा पादरडी ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा पादरडी कडी के खाता नम्बर जमाबन्दी सं० 2014-77
में अंकित स्वयं/पिता का नाम लक्ष्मी पिता मरता जीणा पादरडी कडी
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम
पिता मरता जीणा है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम लक्ष्मी
पिता मरता जीणा दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है लक्ष्मी
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम लक्ष्मी पिता मरता जीणा
पादरडी कडी होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।
अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार दसागवाडा/गलियाकोट को आदेश
दिया जाता है कि मोजा पादरडी कडी की जमाबन्दी संवत् 2014-77
के खाता संख्या में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत
नाम लक्ष्मी पिता मरता जीणा में संशोधन कर सही नाम
लक्ष्मी पिता मरता जीणा पादरडी दर्ज रेकार्ड किया जावे ।
निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो ।


उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा